राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free Help Line -9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in **website: www.rlsa.gov.in**

क्रमांकः– एफ–09( )/राल्सा/स्टोर/ /2018–19/24188 दिनांक 22/8/19

ई–निविदा सूचना संख्या ..01.../2019–20

वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों में जॉब वर्क आधार पर कार्य हेतु सेवाओं के लिए संविदा हेतु अधिकृत एवं अनुभवी संस्थाओं से ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैः–

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र डाउनलोड़/विक्रय की अवधि	तकनीकी निविदा खोलने की अन्तिम तिथि व समय
1.	जॉब वर्क आधार पर कार्य हेतु सेवाओं के लिए	35 लाख	70,000/–	28.08.2019 को प्रातः 10.00 बजे से 06.09.2019 को 05.00 बजे तक	दिनांक 12.09.2019 को मध्यान्ह 03.00 बजे

निर्धारित समय पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी, निविदा प्रपत्र एवं शर्ते तथा अन्य आवश्यक विवरण राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट www.spppa.raj.nic.in एवं बोली से संबंधित विवरण/शर्तें वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं प्राधिकरण की वेबसाईट www.rlsa.gov.in पर देखी जा सकती है।

भवदीय

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

D:\desktop data\Tejsingh\rakesh ji\E Tender.docx

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free Help Line -9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

मूल्य 500/– रूपये

ई–निविदा प्रपत्र

जॉब वर्क आधार पर कार्य हेतु सेवाओं के लिए

ई–निविदा प्रपत्र

(दर संविदा)

1. ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारम्भ की दिनांक 28.08.2019 समय प्रातः 10.00 बजे से
2. ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय करने की अन्तिम दिनांक 06.09.2019 समय सांय 05.00 बजे तक
3. ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 11.09.2019 समय मध्यान्ह 03.00 बजे तक
4. अमानत राशि वर्क ऑर्डर/दिनांक ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 12.09.2019 समय मध्यान्ह 03.00 बजे
5. तकनीकी ई–निविदा खोलने की दिनांक 12.09.2019 समय मध्यान्ह 03.00 बजे

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free Help Line -9928900900)
Email: rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः– एफ–09( )/राल्सा/स्टोर/ /2018–19/ दिनांक

ई–निविदा प्रपत्र

संदर्भ :– ई–निविदा सूचना क्रमांक ....दिनांक..............

1. ई–निविदादाता का नाम.................................पत्राचार का स्थायी पता...........................टेलीफोन नम्बर.............................
2. ई–निविदा फर्म की राशि रूपये.................(अक्षरे...) रसीद संख्या ....दिनांक...............
3. बयाना राशि रूपये.......................(अक्षरे...) बैंक ड्राफ्ट संख्या/बैंकर चैक जमा रसीद संख्या ....दिनांक..................
4. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी की गई ई–निविदा सूचना दिनांक .... एवं ई–निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्तें जो ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत है। हमारी स्वीकृति बतौर हमने शर्तो संबंधी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
5. ई–निविदा संबंधी विवरणः–
   राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर, जयपुर को संविदा पर कार्यालय हेतु निम्न सेवाओं की आवश्यकता हैः–

क्रम संख्या	नाम सेवा	संख्या	वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह प्रति व्यक्ति देय अधिकत राशि प्रतिमाह	सर्विस प्रदाय के संबंध में फर्म द्वारा चार्ज की जाने वाली दर (प्रतिशत अंकित करें)
1.	तामिल कुनिन्दा कार्य जॉब कार्य का आधार पर	13	5,850/–	BOQ में भरें।
2.	कम्प्यूटर मशीन विद् मैन कार्य जॉब वर्क	05 (राल्सा हेतु)	8,500/–	BOQ में भरें।
3.	चतुर्थ श्रेणी कार्य जॉब वर्क	06	5,850/–	BOQ में भरें।
4.	बाल सचिवालय, जयपुर/जोधपुर सीनियर मैनेजर एवं कन्सलटेंट	02	40,000/–	BOQ में भरें।
5.	बाल सचिवालय, जयपुर/जोधपुर डाटा ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	24,000/–	BOQ में भरें।

नोटः– उपरोक्त दरें eproc Portal पर उपलब्ध BOQ Format में ही भरें।
संलग्नः– ई–निविदा शर्तें।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर
(पत्राचार का पूर्ण पता मय दूरभाष/मोबाईल नम्बर)

ई–निविदा के लिए निविदा एवं संविदा शर्तेः–

1. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक का भुगतान नही किया जावेगा।
2. राज्य सरकार के नियमानुसार फर्म GST नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए समयानुसार कर जमा करवाने के दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
3. राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार देय अवकाश प्रभावी होगें
4. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देश कम्प्यूटर मशीन मैन विद मैन सभी सेवाओं पर लागू होंगें
5. ई–निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
6. भरे हुए ई–निविदा निर्धारित प्रपत्र के साथ निर्धारित अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत अमानत राशि डीडी/बैंकर चैक के रूप में सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से जमा करवाना होगा।
7. अमानत राशि के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. ई–निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक उपस्थित होकर निर्धारित ई–निविदा शुल्क जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।
9. मोहर बन्द ई–निविदाए निर्धारित दिनांक एवं समय तक कार्यालय मे प्राप्त की जावेगी तथा निर्धारित दिनांक को उपस्थित ई–निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाएं रद्द कर दी जावेगी।
10. सभी दरें एफ.ओ.आर देनी होगी।
11. सशर्त ई–निविदादाताओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. ई–निविदा में सेवाओं की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
13. दरें शब्दों व अंको दोनों में त्रुटि या उपरिलेखन के नहीं होनी चाहिए। यदि शुद्धि करनी हो तो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में करों/वेट की राशि पृथक से दर्शानी होगी।
14. (क) सफल ई–निविदादाता 03 दिवस में निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा उनके मूल्य के 05 प्रतिशत के बराबर प्रतिभुति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

    (ख) ई–निविदा के समय जमा कराई गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जावेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

    (ग) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

    (घ) प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में स्वीकार की जावेगी।

    (ड़) प्रतिभूति निपेक्ष का समपहरण (फोरफीट) कर लिया जावेगा, यदि संविदा की शर्ते का उल्लंघन किया गया हो, ई–निविदादाता समय समय पर वांछित सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो या सेवा उपलब्धता त्रुटिपूर्ण हो।

    (च) प्रतिवेदन निक्षेप के समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जायेगा, संबंध में समिति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

    (छ) 1,000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र दो प्रतियों में ई–निविदादाता द्वारा स्वयं के सम्पूर्ण खर्च पर निष्पादित किया जायेगा, जिसकी एक प्रति ई–निविदाकर्ता को दी जावेगी।
15. बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जायेगाः–

    (1) जब ई–निविदादाता ई–निविदा खोलने के बाद किन्तु ई–निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, या उसमें उपान्तरण करता है।

    (2) जब ई–निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा कराता है।

    (3) यदि वह विर्निदिष्ट समय के भीतर यदि कोई करार का निष्पादन नहीं कराता है।

    (4) यदि वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार वांछित सेवा प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
16. किसी भी ई–निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार किये बिना कोई कारण बताये किसी भी ई–निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी से अधिक के लिए ई–निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक की विभाग को सेवा लेने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

17. ई–निविदा केवल उन्हीं फर्मो द्वारा दी जानी चाहिए:–

1. स्वयं की पंजीकृत फर्म हो तथा स्थानीय स्तर पर कार्यालय होना अनिवार्य है।
2. ई–निविदादाता फर्म गत 03 वर्षो (2015–2016 से 2018–19) का सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधि अनुभव होना आवश्यक है।
3. सेवा उपलब्ध करवाने संबंधि प्रमाण–पत्र एवं रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
4. ई–निविदादाता फर्म का टर्नआवर 50 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना अपेक्षित है।

18. किसी भी ई–निविदा का बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता को होगा।

19. किसी विवाद पर अद्योहस्ताक्षकर्ता का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

20. शेष शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार होगी।

21. ई–निविदादाता को वांछित सेवा की आपूर्ति कार्यादेश देने के 05 दिवस में करनी होगी।

22. ई–निविदादाता को सर्विस टैक्स के अलावा समाशोधन प्रमाण पत्र अधिकृत सेवादाता का देना होगा।

23. सेवाओं की आपूर्ति में विलम्ब करने पर नियमानुसार नुकसान की वसूली की जावेगी।

24. सेवा प्रदाता फर्म हर माह की 02 तारीख तक अनिवार्य रूप से अपना बिल प्रस्तुत करेगी। समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, साथ ही बिल राशि में से नियमानुसार टीडीएस/जीएसटी व अन्य कर यदि कोई हो तो की कटौती की जावेगी।

25. कम्प्यूटर मय आपरेटर (मशीन विद मैन) किराये की मासिक व्यय सीमा 8,500/– रूपये अधिकतम होगी।

26. प्रस्तुत दरों में सर्विस चार्ज की राशि अलग से दर्शायी जावे।

27. अनुबन्ध की अन्तर्गत अनुबंधित फर्म को प्रथमतया कार्यादेश 06 माह के लिए दिया जावेगा। कार्य की समीक्षा के अनुसार संतोषप्रद सेवा पर समय–समय पर कार्यावधि बढायी जा सकेगी।

28. निविदा प्रपत्र के साथ, निविदा प्रपत्र शुल्क 500/–एवं अमानत राशि का बैंकर चैक/ड्राफ्ट जोकि सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पक्ष में देय हो तथा Processing शुल्क राशि 500/– जो RISL के पक्ष में देय हो स्वीकर किया जायेगा।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर